ग्राम पंचायत पोवारी, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पोवारी, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री भूपेन्द्र सिंह	1.4.2014 से 22.01.2016
2	श्री मति उषा देवी	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री दीवान चन्द	1.4.2014 से 15.03.2017
2	श्री राम लोक	15.03.2017 से 09.10.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत पोवारी के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	**8**	रोकड़ बही में लेखाकिंत प्राप्त आय के उद्देश्य इत्यादि के सन्दर्भ में जानकारी उपलब्ध न होना।	**3.48**
2	**10**	अनुदान का उपयोग न करना	**18.56**
3	**11 (क)**	नियमों के विपरीत विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, **Must-roll** का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना	**23.49**
4	**11 (ख)**	निर्माण कार्यों की प्रविष्टि माप पुस्तिका में किए बिना अनियमित व्यय	**34.32**

5	11 (ग)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय	22.35
6	11 (घ)	क्रय सामग्री की भण्डारण पुस्तकों में प्रविष्टियाँ न करना	22.76
7	11 (च)	पंचायत सचिव को मानदेय के रूप में अनियमित भुगतान	0.11
8	11 (छ)	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन शेष	1.16

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत **पोवारी,** विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी **द्वारा** दिनांक **06.11.2017** से **15.11.2017** के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014-15	01/2015	06/2014
2015-16	01/2016	11/2015
2016-17	10/2016	09/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत **पोवारी,** विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹8000/-** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 610/2017 दिनांक 15.11.2017 **द्वारा** सचिव, ग्राम पंचायत, **पोवारी** से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव,ग्राम पंचायत पोवारी **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार Own Sources, LADA, MG NREGA, Integrated Water Shed Project,13th &14th Finance Commission, IAY & RAY, Total Sanitation Camp. and Other Different GIAs, , को अलग अलग रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था। तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts पूर्ण नही किए गये थे। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों का विस्तृत विवरण नही दिया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट- 1"** पर दिया गया है।

5 **रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना**

ग्राम पंचायत **पोवारी** की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत **द्वारा** रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 **पंचायत राजस्व ₹0.08 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा परिशिष्ट- 2** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक ₹8000 माबाईल टावर फीस वसूली हेतु शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करते हुये ठोस पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाये।

7. **निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना**

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पड़ताल पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** **"परिशिष्ट -3** में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. **रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹3.48 लाख के उद्देश्य इत्यादि के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवानाः–**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत **द्वारा** किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव **द्वारा** फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹348255 की प्राप्ति के बदले कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अत: इस संदर्भ में विभागीय तौर पर आवश्यक इस राशि की प्राप्ति और उद्देश्य की छानबीन की जाए । साथ ही प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

Date of Receipt of Grant	Amount	Cash Book Page No.	From where Grant Received
07.01.2015	**100000.00**	**55(Own Sources)**	**BDO Kalpa**
08.01.2015	**22650.00**	**122(Own Sources)**	**DPO Kinnaur**
27.01.2015	**10000.00**	**122(Own Sources)**	**DPO Kinnaur**
20.01.2016	**4000.00**	**133(Own Sources)**	**Reliance Infocomm**
20.01.2016	**98000.00**	**133(Own Sources)**	**Auction of Apple**

14.10.2016	**113605.00**	**6(Own Sources)**	**Orchard Auction of Apple Orchard**
Total	**₹348255.00**		

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव **द्वारा** निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

10 अनुदान ₹18.56 लाख का उपयोग न करना

पंचायत **द्वारा** अनुदानों और स्व: स्त्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक कुल **₹1856335** उपयोग हेतु शेष थे। विवरण **परिशिष्ट-4** पर दिया गया हैं। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

11 (क) LADA अनुदान के अन्तर्गत ₹23.49 लाख का व्यय नियमों के विपरीत नकद में करने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक **द्वारा** संबन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्यय वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की **Counterfoils** की पड़ताल करने पर पाया गया कि **LADA GIA ₹2349820** के व्यय वाऊचरों/Must roll का भुगतान बैंक चैक **द्वारा** सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत पदाधिकारियों **द्वारा** बैंक से चैक **द्वारा** रोकड़ की निकासी करके नकद रूप से प्राप्तकर्ता को किया गया था। ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 5** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को संबन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु नकद रूप से किए जाने के कारण भुगतान की गई राशि की दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक **द्वारा** सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके नकद रूप से किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए।

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 607/2017 दिनांक 15.11.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 15.11.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत **द्वारा** सूचित किया गया कि ज़्यादातर भुगतान मजदूरो को और भवन निर्माण की

सामग्री की खरीद इत्यादि से संबन्धित थे, जिनके बैंक खाते नहीं थे। भविष्य में सभी भुगतान संबन्धित व्यक्तियों को बैंक चैक **द्वारा** ही किए जायेगे। **पंचायत का प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं लगता। अतः उपरोक्त वर्णित सभी भुगतानों की विभागीय जाँच की जाए तथा वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान किया जाए।**

(ख) LADA अनुदान के अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यों की प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में किए बिना ₹34.32 लाख का अनियमित व्यय

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(2) के अनुसार, **"For the execution of Works of Gram Panchyats in respect of Account-B, exceeding ₹50000/- Junior Engineer Shall record entry in the Measurement Book and for the works costing less than ₹50000/- the entries thereof shall be recorded in the Measurement Book by the Takniki Sahayak,. For the execution of Works of Gram Panchyats in respect of Account-A, all the relevant records shall be maintained by the Gram Panchyat through its Secretary with the assistance of the Takniki Sahayak or technical authority",.** निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा "परिशिष्ट-6"** में दिये गए विवरणानुसार LADA **अनुदान के अन्तर्गत** से करवाए गए निर्माण कार्यों **₹3432405** के व्यय से संबन्धित प्रविष्टियाँ माप पुस्तिकाओं में नहीं की गई थी। जोकि उपरोक्त नियम के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त किए गए निर्माण कार्यो से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों जैसे प्राक्कलन इत्यादि को भी अंकेक्षण में आवश्यक जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 608/2017 दिनाँक 15.11.2017 से माप पुस्तिका, प्राक्कलन इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण दल को उपलब्ध करवाए जाने बारे अनुरोध किया गया था। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 06 दिनाँक 15.11.2017 से सचिव ग्राम पंचायत **द्वारा** सूचित किया गया कि LADA अनुदान के अंतर्गत अवधि 1.4.**2014** से **31.3.2017** के दौरान करवाए गए सभी निर्माण कार्यों के संदर्भ में माप पुस्तिका, प्राक्कलन इत्यादि LADA JE के पास LADA Office में हैं। साथ ही LADA JE से इस बारे में छानबीन करने पर पाया गया कि इस अवधि के दौरान किए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका में प्रविष्टि नहीं की गई हैं । क्योंकि LADA कार्यकारणी की दिनांक 09.09.2014 को आयोजित बैठक में मद संख्या 4 से यह निर्धारित किया गया था कि LADA के अंतर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों की प्रविष्टि माप पुस्तिका में न करके निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र पर की जायेगी। अत: वांछित प्रपत्र आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

इस प्रकार नियमों की अनदेखी करके **खाता-"ख"** (LADA GIA) से करवाए गए निर्माण कार्यों की प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में न किए जाने के कारण इन सभी निर्माण कार्यों की अंकेक्षण में पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अत: यह मामला विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है साथ ही निर्माण कार्यों की प्रविष्टि उपरोक्त नियमानुसार माप पुस्तिका में करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹22.35 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) **द्वारा** स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-7"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा ₹2234574/-** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) क्रय सामग्री ₹22.76 लाख की प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत **द्वारा** क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान क्रय की गई **₹2275674** की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट-8"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, **क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने के कारण क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी । सामग्री से संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन व खपत से संबन्धित माप पुस्तिका में लेखांकन आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

(च) ग्राम पंचायत सचिव को मानदेय के रूप में ₹0.11 लाख के मानदेय का अनियमित भुगतान

LADA से संबन्धित रोकड़ बही की पड़ताल करने पाया गया कि वाऊचर संख्या 39 दिनांक 19.07.2014 को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 40 पर चैक संख्या 389614/ 19.07.2014 से ₹11000 का भुगतान श्री दीवान चंद सचिव ग्राम पंचायत को मानदेय के रूप में किया गया था। जबकि इस बारे में उच्च अधिकारियों का कोई आदेश/निर्देश, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, नियमों में प्रावधान इत्यादि अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। निर्देशों, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, नियमों में प्रावधान इत्यादि की अनुपलब्धता के कारण मानदेय का भुगतान अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी हैं। अत: LADA GIA से श्री दीवान चंद पूर्व सचिव ग्राम पंचायत को ₹11000 के मानदेय के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा इस राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अति शीघ्र सूचित किया जाए।

(छ) LADA GIA से प्रदान किए गए अस्थाई अग्रिमों ₹1.16 लाख का समायोजन शेषः–

व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों एवं फर्मों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु LADA GIA से अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान

किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरन्त बाद अग्रिमों के समायोजन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन **परिशिष्ट–9** में दिये गये विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों के समायेाजन हेतु उचित कार्यवाही न करने के कारण दिनांक 31.03.2017 तक कुल ₹116000 के अस्थाई अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष थे। इस प्रकार LADA GIA से प्रदान किए गए अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

12 OWN Sources और अन्य अनुदान से क्रय किए गए ₹0.20 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भण्डार रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (a,b,c एवं d) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान Own Source और अन्य GIA से क्रय की गई ₹20116 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **परिशिष्ट–10** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरान्त भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने के कारण क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। सामग्री से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन व खपत से सम्बन्धित माप पुस्तिका में लेखांकन आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 चौकीदार को किए गए भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाये जाने बारे।

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान चौकीदार को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इस कर्मचारी को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नही बनाया गया था। जिसके कारण कर्मचारी को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

15 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताए

(क) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत **पोवारी** द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत:93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पढ़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत **पोवारी** द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही नियमानुसार रसीदों का स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

17 **लघु आपति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

18 **निष्कर्ष:-** लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्याः- फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(ix) 4/2017 खण्ड-1-2471-2474 दिनांक 09.04.2018
शिमला-09

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने

के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर, जिला किन्नौर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत पोवारी, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881